

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय



PGDVGCC-06
प्रायोगिक

वोकेशनल गाइडेंस एवं कैरियर काउन्सिलिंग में पी.जी. डिप्लोमा

P.G. Diploma in Vocational Guidance And Career Counselling



प्रायोगिक

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद - 211013



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

PGDVGCC-06
प्रायोगिक

प्रायोगिक

इकाई- 1	5
आंकड़ों का मूल्यांकन	
इकाई- 2	12
मनोवैज्ञानिक मापन तथा मूल्यांकन	
इकाई- 3	18
सामूहिक निर्देशन एवं व्यक्तिगत निर्देशन	
इकाई- 4	31
व्यक्तिगत अध्ययन	

ण्ड परिचय - प्रायोगिक

इस पूरे खण्ड में प्रायोगिक कार्य से सम्बन्धित क्रिया कलाप दिये गये हैं। प्रथम इकाई आकड़ों मूल्यांकन से सम्बन्धी हैं। इसमें मापन का अर्थ, सिद्धान्त विशेषताओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक, मापन, आवश्यक तत्व, स्तर आदि बताये गये हैं। इकाई 2 में मापन और मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। वैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का आन्तरिक रूप में अध्ययन करना है। यद्यपि हम किसी विशेष य में व्यक्ति के समस्त गुणों का मापन नहीं कर सकते अतएव हमें उसके कुछ गुणों के चयन की आवश्यकता होती है।

मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को चार स्तरों के अन्तर्गत रखा जाता है। मापन की शुद्धता, उसके मापन स्तर तथा वैज्ञानिकता को दृष्टि में रखते हुए मापन के चार स्तर पर मापनियों का माप किया जाता है।

मूल्यांकन एक विस्तृत तथा निरन्तर चलने वाली वह प्रक्रिया है। मार्गदर्शन कार्यक्रम में वास्तविक त मिल जाने से परामर्श में सहायता मिलती है। परीक्षणों में समस्या का वास्तविक निदान प्राप्त होता और समस्या समाधान के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में समायोजन हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होता है।

इकाई-3 सामूहिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन से सम्बन्धित है। आधुनिक जीवन में समूह का अधिक महत्व है। प्रत्येक समूह के अन्दर सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ समानता भी होती है। प्राचीन ल में मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना अधिक उचित समझा करता था परन्तु आधुनिक युग सामूहिक रूप से परामर्श दिये जाने का प्रचलन बढ़ा है।

वैयक्तिक परामर्श के माध्यम से व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम सम्भव विकास के लिये सहयोग प्रदान करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कुछ स्थितियों में सामूहिक परामर्श अधिक प्रभावी होता है। समूह की परिस्थिति में सभी लोगों का ध्यान किसी सर्वसामान्य समस्या पर केन्द्रित होने से समस्या समाधान सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है।

इकाई-4 केस स्टडी से सम्बन्धित है। निर्देशन का केन्द्र बिन्दु होता है। 'समस्याग्रस्त व्यक्ति'। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है। आनुवांशिक एक पर्यावरण की भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न बनाती है। यह भिन्नता न केवल शक्त सूरत, की होती है वरन् बौद्धिक क्षमता, आत्मिक विकास, अभिवृत्तियाँ रूचि सभी में व्यक्ति विशेष का विशिष्ट बनाती है।



इकाई -1 आंकड़ों का मूल्यांकन (Appraisal of Data)

संरचना

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन
- 1.3 मापन का अभिप्राय
- 1.4 आंकड़ों के मूल्यांकन
- 1.5 मूल आंकड़ों का व्यवस्थापन

1.1 प्रस्तावना

मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्राप्त आंकड़ों का उचित एवं सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। साथ ही किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उद्देश्य की सफलता प्राप्त आंकड़ों के सही मूल्यांकन पर निर्भर करती है। परीक्षणों से प्राप्त परिणाम निर्देशन और परामर्श का आधार होते हैं और यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है इसमें नित्य नये परिवर्तन होते रहते हैं। युग एवं समय की माँग के अनुसार सभी सामाजिक धारणाओं और सम्बोधों की आवश्यकता पड़ती है, तथा इन नयी धारणाओं एवं सम्बोधों के मूल्यांकन हेतु प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। प्राप्त निष्कर्षों से परीक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता ज्ञात किया जाना सम्भव होता है। सांख्यिकी का व्यवहारिक उपयोग मनोविज्ञान में बिनो (Binet) के अध्ययनों से प्रारंभ हुआ। बिनो ने बुद्धि परीक्षण की रचना सांख्यिकी के आधार पर की, परन्तु मानसिक क्षमताओं के अध्ययन में सिद्धान्त और सांख्यिकी दोनों का प्रयोग इस उद्देश्य से किया गया था कि व्यवहार की व्याख्या करने में वास्तविक मात्रा का पुट हो।

मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में आंकड़ों का सांख्यिकीय प्रयोग का इतिहास 1904 से आरंभ होना माना जाता है। 'अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलोजी' में कारक विश्लेषण पर स्पीयरमैन का एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें कारक विश्लेषण के सन्दर्भ में कारकों के सेट की संरचना का वर्णन किया गया था और कुछ छोटे-छोटे परिवर्तनों को बताया गया था। जिनकी उपयोगिता के अध्ययन में न्यून से न्यून करने का उद्देश्य सन्निहित था। इस विषय पर आज भी अनेकानेक अध्ययन हो रहे हैं जिसमें मनोवैज्ञानिकों के साथ-साथ शिक्षा शास्त्री, समाजशास्त्री एवं गणितज्ञ भी प्रयासरत हैं। आज मनोविज्ञान एवं अन्य व्यवहारिक विज्ञानों में आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकी का इतना प्रयोग किया जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारिक अध्ययन आंकड़ों के मूल्यांकन अथवा सांख्यिकी के बिना असंभव है। प्रतिदर्श से लेकर प्रवृत्त विश्लेषण में मात्रात्मक व्याख्या निष्कर्षों का आधार है।

1.2 मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन-

मनोवैज्ञानिक तथ्यों व घटनाओं का मापन एक अत्यधिक जटिल व कठिन प्रक्रिया है क्योंकि मनोवैज्ञानिक घटनाएँ प्रायः अमूर्त, चंचल व निरन्तर परिवर्तनशील रहती हैं। मनोवैज्ञानिक मापन की कुछ विशेषताएँ अंग्राकित हैं-

मनोवैज्ञानिक तथ्यों का स्वरूप प्रायः गुणात्मक (Qualitative) होता है।

मनोवैज्ञानिक घटनाओं का स्वरूप प्रायः अमूर्त, अस्पष्ट, असीमित व चंचल होता है अतः ऐसे तथ्यों का मापन प्रायः जटिल व कठिन होता है।

- मनोवैज्ञानिक तथ्यों का मापन प्रायः अप्रत्यक्ष होता है।
- मनोवैज्ञानिक घटनाओं का स्वरूप अनिश्चित अस्पष्ट तथा विसरित (Differeced) रहता है। अतः उनके पूरे आकार का मापन प्रायः विशिष्ट (Specific) रूप से नहीं हो पाता है।
- मनोवैज्ञानिक तथ्यों के मापन के लिये स्केलों (Scales) की रचना अपेक्षाकृत मानकीकृत रूप में प्रायः कम उपलब्ध होती है तथा उनका स्वरूप व प्रयोग भी सार्वभौमिक रूप से कम ही हो पाता है।
- मनोवैज्ञानिक मापन के लिये एक सुयोग्य, प्रशिक्षित व कुशल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है।
- मनोवैज्ञानिक तथ्यों के विषय में प्रायः आकलन (Estimate) ही लगाया जाता है अथवा उनका केवल मूल्यांकन (Evaluation) ही किया जा सकता है।
- मनोवैज्ञानिक मापन का आधार प्रायः निरीक्षण (Observation) तथा परीक्षण (Testing) होता है।
- मनोवैज्ञानिक माप सापेक्षिक (Relative) होते हैं। उदाहरणार्थ बुद्धिलब्धि (I.Q.) का मान सापेक्षिक है, वास्तविक नहीं।

1.3 मापन का अभिप्राय-

विस्तृत रूप में मापन एक ऐसी प्रक्रिया (Process) है जिसके अन्तर्गत तथ्यों तथा घटनाओं को वर्गीकृत किया जाता है तथा ऐसे वर्गीकरण को तर्क तथा गणित के नियमों के आधार पर सांकेतिक चिह्न प्रदान किये जाते हैं। किन्तु व्यवहारिक जगत में वस्तुओं घटनाओं व मानसिक शील गुणों के मापन की मुख्यतः चार प्रविधियाँ प्रचलित हैं मापन की इन प्रविधियों को मापनी (Scales) भी कह सकते हैं जो कि अग्रलिखित है -

I	नामात्मक स्केल	Nominal Scale
II	क्रमात्मक स्केल	Ordinal Scale
III	अन्तरालात्मक स्केल	Interval Scale
IV	अनुपातात्मक स्केल	Ratio Scale

अथाह और अपार आँकड़ों के विशाल रूप को सांख्यिकी के विधियों और प्रविधियों के समावेश से सरलतापूर्वक व्यवस्थित किया जा सकता है एवं उनके वास्तविक स्वरूप व पारस्परिक सम्बन्धों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है तथा उनको आरेखों व लेखाचित्रों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति भी उन विशाल व व्यापक आँकड़ों के समूह को सरलतापूर्वक समझ सकता है। सैद्धान्तिक व शुद्ध विज्ञानों के लिये सांख्यिकी के सूत्रों व सिद्धान्तों ने आधारशिला का रूप धारण कर लिया है। प्रारम्भ में भौतिक विज्ञानों के निकट विज्ञानों जैसे जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान में सांख्यिकी पर आधारित प्रविधियों व पद्धतियों का प्रयोग होता था। इसके पश्चात् इस विषय को मनोविज्ञान शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में व्यापकता से प्रयोग किया जाने लगा। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और अनुसन्धानों में सांख्यिकी से अत्यधिक सहायता मिली है।

आँकड़ों के मूल्यांकन हेतु मनोवैज्ञानिक प्रयोगों व परीक्षणों के परिणाम, विश्लेषण व निष्कर्ष में व्यापक रूप से सांख्यिकीय पद्धतियों व सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के निर्माण में सांख्यिकी के प्रतिचयन के सिद्धान्तों (Theories of Sampling) का उपयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त मापन

(Measurement) व मनोवैज्ञानिक परीक्षण (Testing) के क्षेत्र में पद विश्लेषण (Item-analysis) विश्वसनीयता (Reliability) वैधता (Validity) तथा भविष्य कथन (Prediction) में सांख्यिकीय विधियों की अत्यधिक आवश्यकता व उपयोगिता है। सांख्यिकीय के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिये सबसे बड़ा योगदान दो या दो से अधिक चरों में पाये जाने वाले साहचर्यात्मक (Associative relationship) का होता है अर्थात् स्वतन्त्र चर (Independent variable) तथा परतन्त्र चर (Dependent variable) के मध्य व्याप्त पारस्परिक कार्य कारण (Cause and effect) के प्रभाव का अध्ययन होता है जिसको प्रायः सह सम्बन्ध गुणांक से ज्ञात किया जाता है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय प्रविधियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के ऐसे अभिकल्प (Design) निर्माण में सहायता मिलती है कि जिनसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन उच्च कोटि के वैज्ञानिक स्तर पर करना सम्भव होता है।

1.4 आंकड़ों के मूल्यांकन (Appraisal of Data)

आंकड़ों के मूल्यांकन (Appraisal of Data)के लिए निम्नांकित चरणों के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग आवश्यक होता है।

1.4.1 आंकड़ों का एकत्रीकरण (Collection of Data)

मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एक परीक्षार्थी जो अंक प्राप्त करता है उस प्राप्त अंक को ही परीक्षार्थी का प्राप्तांक (Score) कहा जाता है। मनोविज्ञान व शिक्षा के योगों के ऐसे प्राप्तांकों का अध्ययन प्रायः सैकड़ों विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों व निरीक्षणकर्ताओं करना पड़ता है और इस प्रकार जो आंकड़े (Data) प्राप्त होते हैं उन्हें मूल प्राप्तांक (Raw Scores) कहा जाता है। यही आंकड़ों का एकत्रीकरण है।

1.4.2 आंकड़ों का व्यवस्थापन (Organization of Data)

व्यवस्थापन वह पद्धति है जिसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों को सजातीय गुणों (Attributes) के आधार पर विभिन्न वर्गों में सारणीबद्ध उस विधि से किया जाता है जिससे उनका रूप अधिक सरल, बोधगम्य, तुलनात्मक, सम्बन्धात्मक एवं विवेचनात्मक बन सके।

व्यवस्थापन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं-

- (क) विशाल आंकड़ों की विभिन्नताओं के जटिल रूप को सरल व बोध गम्य बनाना।
- (ख) आंकड़ों में व्याप्त सजातीय गुणों को स्पष्ट करना।
- (ग) आंकड़ों को क्रमवद्ध करना।
- (घ) दो चरों के तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना।
- (ङ.) पारस्परिक रूप से अलग-अलग श्रेणियों में विभाजन करना।
- (च) आंकड़ों के विस्तार को न्यूनतम स्थान में स्पष्ट करना।

1.4.3 आंकड़ों के व्यवस्थापन के लिये संकलित आंकड़ों को निम्नांकित रूप देना आवश्यक होता है-

- (1) वर्गीकरण (Classification)
- (2) सारणीयन (Tabulation)
- (3) आलेखी निरूपण (Graphic Representation)

(1) वर्गीकरण (Classification)

सजातीयता व समानता के आधार पर विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत सरल होता है जैसे लिंग भेद के आधार पर अथवा एक ही वर्ग के व्यक्तियों के किसी एक गुण (Attributes) के आधार पर वर्गीकृत किया जाये।

(2) सारणीयन (Tabulation)

सारणीयन से आँकड़ों को व उनके पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से समझने में पर्याप्त सुविधा होती है।

(3) आलेखी निरूपण-

जब आँकड़ों को लेखाचित्रों (Graphic) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो साधारण व्यक्ति भी उनके स्वरूप और विस्तार को भलीभाँति समझ सकता है और एक ही दृष्टि से जटिल तथा सरल तथ्य शीघ्रता से स्पष्ट होने लगते हैं।

प्राप्तांकों के रूप में प्राप्त आँकड़ों का अध्ययन प्राप्तांकों को व्यवस्थित करने से पहले एक इकाई के मान को जानना आवश्यक है। उदाहरणार्थ एक विद्यार्थी की बुद्धिलब्धि का मान 110 है तब शुद्ध रूप से यह मान 109.5 से लेकर 110.5 तक कुछ भी हो सकता है परन्तु सुविधा व गणना की दृष्टि से इस मान को 110 कहना ही उचित होता है।

(4) मूल आँकड़ों (Raw Scores) का व्यवस्थापन-

अध्ययन के अनुसंधान हेतु प्राप्त मूल आँकड़ों का रूप प्रायः विशाल व विस्तृत होता है अतः उनके विस्तार को सरलतम व बोधगम्य बनाने के लिये उनको व्यवस्थित करने की तीन मुख्य विधियाँ हैं -

- (ए) साधारण व्यवस्था
- (बी) आवृत्ति व्यवस्था
- (सी) आवृत्ति वितरण

साधारण व्यवस्था-

इस विधि के अन्तर्गत प्राप्त आँकड़ों को इस प्रकार से साधारण क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है जैसे उनको बढ़ते क्रम अथवा आरोही क्रम में रखना या फिर घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम (Descending order) में रखना होता है। ऐसा करने से उनको एक क्रम व विन्यास का रूप मिल जाता है उदाहरणार्थ नीचे 20 विद्यार्थियों के एक मानसिक परीक्षण के मूल प्राप्तांक दिये गये हैं-

प्राप्तांक:

110	112	123	85
85	114	108	123
96	110	114	120
104	85	114	96

साधारण व्यवस्था के अन्तर्गत इनको बढ़ते हुए क्रम अर्थात् आरोही क्रम (Ascending order) में निम्नलिखित विधि से लिखा जा सकता है-

तालिका

85	96	110	114
85	104	112	120
85	108	114	123
96	110	114	123

उपर्युक्त व्यवस्था से प्राप्तांकों को एक क्रम के अनुसार लिखने से उनका स्वरूप पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट तथा बोधगम्य हो जाता है। न्यूनतम तथा अधिकतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी के अंक एक दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाते हैं। इन्हीं प्राप्तांकों को घटते हुए क्रम (Descending order) में भी लिखा जा सकता है।

किन्तु उपर्युक्त विधि का प्रयोग उसी स्थिति में सम्भव है जब आँकड़ों (Data) की संख्या कम होती है।

1.4.4 आवृत्ति व्यवस्था-

इस विधि के अन्तर्गत उपर्युक्त आंकड़ों को निम्नलिखित व्यवस्था दी जा सकती है।

प्राप्तांक (Scores)	आवृत्तियाँ (Frequency)
85	3
96	2
104	1
108	1
110	2
112	1
114	1
120	1
123	2

इस व्यवस्था से अंक वितरण का अधिक ज्ञान होता है। कम स्थान और कम संख्याओं में वितरण की विशेषतायें पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैं। यद्यपि यह विधि साधारण व्यवस्थापन से श्रेष्ठ है। किन्तु इसका प्रयोग तभी उपयोगी हो सकता है जबकि आँकड़ों की संख्या कम हो। वास्तव में यह विधि तभी उपयोगी होती है जबकि वितरण की विशिष्ट इकाइयों की पुनरावृत्ति बार-बार होती है। यदि ऐसा नहीं होता तब व्यवस्थापन की पहली विधि साधारण व्यवस्था तथा दूसरी व्यवस्था आवृत्ति व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर ही नहीं रह जाता है।

1.4.5 आवृत्ति वितरण-

उपर्युक्त दोनों विधियों की कमी दूर करने के लिये व्यवस्थापन की तीसरी विधि आवृत्ति वितरण (Frequency Distribution) विधि सबसे श्रेष्ठ है। नीचे 50 विद्यार्थियों के इतिहास विषय के प्राप्तांक दिये हुए हैं जिनका आवृत्ति वितरण तैयार करना है।

प्राप्तांक		
65	48	57
47	71	53
60	64	47
54	73	76
57	62	57
65	51	50

प्राप्तांकों के व्यवस्थापन की यह तीसरी विधि पहले बतायी गयी आवृत्ति व्यवस्था

से थोड़ा भिन्न है। अन्तर केवल इतना ही है कि आवृत्ति वितरण के लिए हमें यहाँ एक संख्या के स्थान पर 2,3,5 अथवा 10 अंकों या इससे बड़ी संख्या का वर्गान्तर (Class interval) लेना पड़ता है।

आवृत्ति वितरण के लाभ-

1. विस्तृत आँकड़ों को सरलतापूर्वक बोधगम्य बनाता है।
 2. प्राप्तांकों के प्रसार या विस्तार का ज्ञान एक ही दृष्टि से सम्भव बना देता है।
 3. आँकड़ों के प्रायः सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंक मानों का ज्ञान कराता है।
 4. आँकड़ों की केन्द्रीय प्रवृत्तियों का केवल आवृत्ति वितरण के निरीक्षण से पता लग जाता है।
 5. आँकड़ों के क्रमबद्ध विश्लेषण में सहायता मिलती है।
 6. केन्द्रीय प्रवृत्ति व आगे के सांख्यिकीय मापों की गणना में जैसे-मध्यमान, मानक विचलन आदि की गणना के कार्य उससे सरल हो जाते हैं।
- आवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नये सम्बोधों की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिये।

- (1) वर्गान्तर (Class interval)
- (2) वर्ग विस्तार (Size of class interval)
- (3) वर्गान्तरों की संख्या (Number of the class interval)
- (4) अंकों का प्रसार (Range of the Score)
- (5) वर्गान्तरों के निर्माण के लिये सुविधाजनक 3 इकाइयों (Class interval)
- (6) वर्गान्तर की शुद्ध सीमायें
- (7) मध्य बिन्दु (Mid point) को ज्ञात करने की समस्या का अध्ययन
- (8) वर्गान्तरों की समावेशी, अपवर्जी व शुद्ध श्रेणियाँ (Inclusive, exclusive and pure series of C.I.)
- (9) वर्गान्तर को आरोहीक्रम व अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना (Ascending and descending series of C.I.)

4.3 प्राप्त आँकड़ों का सारणीयन (Tabulation of Data)

प्राप्त आँकड़ों का मूल रूप प्रायः निरर्थक एवं जटिल होता है इस कारण उनके सारणीयन (Tabulation) की आवश्यकता पड़ती है। सारणीयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत प्राप्त आँकड़ों को क्रमबद्ध बोधगम्य, सरल तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेप में सारणीयन की विशेषताये निम्नांकित हैं-

1. शीर्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़ों के उद्देश्य को स्पष्ट करना।
2. न्यून स्थान में समस्त आँकड़ों को प्रस्तुत करना।
3. आँकड़ों को सरलतापूर्वक समझाने योग्य बनाना।
4. आँकड़ों के विभिन्न अंगों में सम्बन्ध स्पष्ट करना।
5. आँकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रदान करना।
6. आवश्यकतानुसार आँकड़ों को प्रतिशत आदि में सुविधा के लिये व्यक्त करना।
7. आँकड़ों को विश्लेषण योग्य स्थिति में प्रस्तुत करना।
8. आँकड़ों का प्रदर्शन सुन्दर व आकर्षक ढंग से करना।

सारणीयन के विभिन्न चरण-

1. अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी सभी सारणियों को क्रमबद्ध रूप से लिखना।
2. क्रमबद्ध संख्या के ठीक नीचे स्तम्भों और पंक्तियों, उपशीर्षक को स्पष्ट व सरल भाषा में लिखना।
3. आँकड़ों के स्वरूप की स्पष्ट व्याख्या करने के लिये सारणी के नीचे कुछ टिप्पणी भी देना आवश्यक होता है।
4. सारणी का आकार साधारण (Moderate) होना चाहिये।

नीचे दी गयी तालिका में उदाहरण देखिये-

विषय	अंक वितरण वर्गान्तर में	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या
संस्कृत कक्षा-X	60-69	31	40
	50-59	29	82
	40-49	72	59
	30-39	69	58

उपरोक्त सारणी अवलोकन से कक्षा X की छात्र-छात्राओं का लिंगभेद के आधार पर सरलतापूर्वक अध्ययन करने हेतु आँकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है।

4.4 आँकड़ों के निरूपण की विविध विधियाँ (Various Methods of Representation of Data)

1. आवृत्ति बहुभुज (Frequency Polygen)
2. आयतचित्र बहुभुज (Frequency Polygen)
3. वृत्त रेख (Pie Diagram)
4. रेखाचित्र (Linegraph)
5. चित्रमय ग्राफ (Pictorial Graph)
6. दण्ड आरेख (Bar Diagram)
7. तुलनात्मक दण्ड आरेख (Comparative Bar Diagram)
8. बहुगुणी दण्ड आरेख (Multiple Bar Diagram)
9. प्राविधानित दण्ड आरेख (Sub divided Bar Diagram)
10. संचयी आवृत्ति वक्र (Cummulative Frequency Curve)
11. संचयी प्रतिशत वक्र (Cummulative Percentage Curve)

मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतर आवृत्ति बहुभुज (Frequency Polygen) आयत चित्रों (Thistograms) दण्ड आरेख (Bar diagram) संचयी आवृत्ति वक्र (Cummulative Frequency curve) तथा संचयी प्रतिशत वक्र (Cummulative Percentage curve) का अधिक प्रयोग होता है। कभी-कभी चित्रमय ग्राफ (Pictorial Graph) का प्रयोग भी प्रभावशाली एवं उपयोगी होता है। इसी प्रकार बहुगुणी दण्ड आरेख (Sub-divided Bar Diagram) का प्रयोग भी तथ्यों के स्पष्टीकरण व विश्लेषण में बहुत उपयोगी होता है।

इकाई-2 मनोवैज्ञानिक मापन तथा मूल्यांकन (Psychological Measurement & Assessment)

संरचना

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 मापन का अर्थ
- 2.3 मापन का सिद्धान्त
- 2.4 मापन की विशेषतायें
- 2.5 मनोवैज्ञानिक मापन के आवश्यक तत्व
- 2.5 मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर तथा मापनियां
- 2.7 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन

2.1 प्रस्तावना

मनोवैज्ञानिक मापन एवं मूल्यांकन मानव जाति के द्वारा मापन क्रिया एवं विभिन्न मापन इकाइयों का प्रयोग किसी न किसी रूप में अत्यन्त प्राचीन काल से किया जाता रहा है किन्तु एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में तथा व्यवस्थित अध्ययन के दृष्टिकोण से मापन का इतिहास वस्तुतः लगभग सौ वर्ष पुराना कहा जा सकता है। वर्ष 1850 तक मनोविज्ञान का स्वरूप मुख्य रूप से चिन्तन प्रधान, दार्शनिक तथा अप्रयोगात्मक रहा। तात्कालिक विचारकों की यह धारणा थी कि व्यक्ति के व्यवहारिक पहलुओं तथा मानसिक क्रियाओं को मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों एवं उनकी ऐसी क्रियाओं जिनका सम्बन्ध स्पष्ट रूप से प्राणी के व्यवहार से था उनका मापन भौतिक शास्त्रियों द्वारा किया गया। उन्होंने संवेदानात्मक विभेद एवं सरल प्रारम्भिक प्रत्युत्तरों की गति के आधार पर व्यक्ति की योग्यता का मापन किया। बाद में धीरे-धीरे मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जैविक विज्ञानों से प्रभावित हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सन् 1900 तक मनोविज्ञान स्वयं एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हो गया तथा जैविक विज्ञान से प्रेरणा लेते हुए प्रयोगात्मक पद्धति को महत्व देना आरम्भ कर दिया। प्रयोगात्मक पद्धति के साथ-साथ मनोविज्ञान में विभिन्न मानवीय व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं के मापन का आरम्भ हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी में दैहिक एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सम्बन्धी समस्याओं और वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन एवं आसामान्य व्यक्तियों के समायोजन की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक मापन की आधारशिला रखी जिसके फलस्वरूप बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ही विभिन्न मानसिक क्रियाओं के मापन हेतु विभिन्न मानसिक परीक्षणों का निर्माण तथा प्रयोग तेजी से किया जाने लगा।

2.2 मापन का अर्थ-

मापन एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। सामान्यतया मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध एवं वास्तविक रूप में वर्णन करता है। स्टीवेन्स के शब्दों में मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है।

2.2.1 मापन का सिद्धान्त-

मापन का आधारभूत स्रोत गणित में निहित है। गणित की प्रकृति समझे बिना

इस मापन की प्रकृति को नहीं समझ सकते। मानसिक मापन के अन्तर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं एवं शीलगुणों जैसे-बुद्धि, अभिज्ञता उपलब्धि, रूचि, योग्यता आदि का मापन किया जाता है।

2.4 मापन की विशेषतायें-

- (1) मानसिक मापन का प्रारम्भ बुद्धि दौर्बल्य की मानसिक समस्या के कारण जानने के लिए हुआ।
- (2) मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक (Relative) प्रकार की होती है। मानसिक मापन में अंकों का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं होता-उदाहरणार्थ यदि हम कहे कि अमुक व्यक्ति ने किसी बुद्धि परीक्षण में 80 अंक प्राप्त किये हैं तब हम इसके द्वारा किसी वास्तविक तथ्य की सूचना प्राप्त नहीं करते।
- (3) मानसिक मापनों का विवेचन करना कठिन होता है किन्तु भौतिक मापन तो इतने सरल होते हैं कि उनके विवेचन का कोई प्रश्न नहीं उठता; जैसे यदि हम यह कहे कि यह मेज नौ इंच ऊँची है तो एक वर्ष पश्चात् भी उसकी ऊँचाई में कोई परिवर्तन नहीं पायेगा। किन्तु मानसिक मापन विशेष तौर पर व्यक्तित्व विशेषताओं के मापन ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्युत्तरों का अर्थ बिल्कुल निश्चित नहीं होता और भिन्न-भिन्न व्यक्ति के लिये भिन्न भिन्न होता है।

2.5 मनोवैज्ञानिक मापन के आवश्यक तत्व-

मनोवैज्ञानिक मापन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का मात्रात्मक रूप में अध्ययन करना है। यद्यपि हम किसी विशेष समय में व्यक्ति के समस्त गुणों का मापन नहीं कर सकते अतएव हमें उसके कुछ गुणों के चयन की आवश्यकता होती है। हम व्यक्ति के केवल इन्हीं गुणों का चयन एवं मापन करते हैं जिनका सम्बन्ध उसकी वर्तमान अवस्था से होता है। अतएव किसी भी क्षेत्र सम्बन्धी मापन क्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित चरणों का ध्यान रखना आवश्यक है -

गुणों की पहचान करना और उन्हें परिभाषित करना-(Identifying and Defining the attributes)

किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मापन करने से पूर्व सर्वप्रथम उसके गुणों को पहचाना जाता है एवं उसकी व्याख्या की जाती है क्योंकि मापन क्रिया के अन्तर्गत व्यक्ति या वस्तु के सम्पूर्ण व्यवहार का अध्ययन न करके केवल उसके कुछ ही गुणों (Attributes) के मापन का प्रयास किया जाता है। किसी मानसिक गुण जैसे बुद्धि का मापन करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि बुद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या बुद्धि चयन एवं विभेद करने की शक्ति है? अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की व्याख्या करने में हमें अनेक प्रकार से विचार करना पड़ता है। यह कथन लगभग समस्त मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के सम्बन्ध में उपयुक्त है।

I गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना (Determining set of operations by which attributes may be expressed)

मापन का दूसरा आवश्यक पक्ष उन संक्रिया विन्यासों (Set of operations) को निश्चित करना है जिनके माध्यम से मापनकर्ता गुणों को अभिव्यक्त कर सके। वास्तव में किसी गुण की परिभाषा करने एवं उसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं के मध्य आपस में सम्बन्ध होता है अर्थात् गुण की परिभाषा करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाली सार्थक

संक्रियाओं का वर्णन भी किया जाता है तथा संक्रियाओं के प्रयोग से पूर्व उस गुण की क्रियात्मक परिभाषा (Functional definition) दी जाती है। अतएव मापन के अन्तर्गत हमारा दूसरा उद्देश्य गुणों की क्रियात्मक या प्रकार्य रूप में परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसमें प्रयोग होने वाले संक्रिया विन्यास को निर्धारित करना होता है।

III गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना-

मापन के तीसरे चरण में, संक्रियाओं के निष्कर्षों को मात्रा-त्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। मापन से हमारा सम्बन्ध अधिकांश रूप में इन प्रश्नों में कितने (How many) तथा कितनी मात्रा (How much) से रहता है। गुणों का सम्बन्ध मनोवैज्ञानिकों से होता है उनकी कुछ ऐसी परिभाषायें प्रस्तुत करनी होती हैं जो उनकी इकाई तथा मात्रात्मकता को व्यक्त करें। इस प्रकार से मापन के अन्तिम चरण में गुणों को योग की इकाइयों में मात्रांकित किया जाता है।

2.6 मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर तथा मापनियाँ-

मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को चार स्तरों के अन्तर्गत रखा जाता है। विषय सामग्री सामाजिक हो या भौतिक अथवा मनोवैज्ञानिक उसका मापन कई प्रकार से हो सकता है। मापन की परिशुद्धता, उसके मापन स्तर तथा वैज्ञानिकता को दृष्टि में रखते हुए मापन के चार स्तर पर मापनियों का प्रयोग किया जाता है। ये स्तर हैं-

- (1) शाब्दिक स्तर (Nominal Level)
- (2) क्रमिक स्तर (Ordinal Level)
- (3) अन्तराल स्तर (Interval Level)
- (4) अनुपात स्तर (Ratio Level)

सामान्यतया मापन क्रिया में व्यक्तियों, वस्तुओं, निरीक्षणों, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को मात्रात्मक (qualitative) या आंकिक (Numerical) रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः उपर्युक्त मापनियों का उद्देश्य एक ही होता है। इसकी पारस्परिक भिन्नता मुख्यतया इस तथ्य पर आधारित है कि कोई मापनी विषयवस्तु को मात्रात्मक या आंकिक मूल्य प्रदान करने में किस विधि का प्रयोग करती है तथा वह मापन किस स्तर का है। प्रायः प्रत्येक मापनी या स्तर के अपने अपने नियम, विशेषताएं सीमायें तथा विविध सांख्यिकीय विधियां हैं।

2.6.1 शाब्दिक स्तर की मापनी-

मनोवैज्ञानिक मापन का यह सबसे निम्न स्तर है इसे वर्गीकरण (Classification) के नाम से भी जाना जाता है। मापन की इस सरलतम मापनी में वस्तुओं अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति या समूह की पहचान के लिये उसे कोई विशेष नाम (Name) संख्या (Number) या कोड (Code) दे दिया जाता है। अतः एक समूह में सम्मिलित समस्त पदार्थ आपस में समान तथा अन्य समूह के प्रत्येक पदार्थ से भिन्न होते हैं।

इस प्रकार के मापन के माध्यम से केवल गणना ही सम्भव हो पाती है अतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों के मापन में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसमें गणना के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सांख्यिकी की गणना संभव नहीं होती। टेलीफोन नम्बर देने, कार लाइसेंस नम्बर आदि को देने में शाब्दिक स्तर के मापन का प्रयोग किया जाता है।

2.6.2 क्रमिक स्तर की मापनी-

इस स्तर के मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रिया को किसी गुण या लक्षण के आधार पर उच्चतम से निम्नतम के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा प्रत्येक वस्तु को एक क्रमसूचक अंक प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ-जब अमुक प्रार्थियों को रोजगार देते हैं या परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय आदि क्रम देते हैं तो क्रमिक स्तर मापनी का प्रयोग ही उपयोगी होता है। इस प्रकार की मापनी के प्रयोग के क्रम देने के लिये सामान्यतः दो विधियों का प्रयोग प्रचलित है-एक पंक्ति क्रम विधि और दूसरी युग्म-तुलना विधि।

यद्यपि इस प्रकार की मापनी का अधिकांश रूप में प्रयोग भौतिक, सामाजिक तथा मनोविज्ञान में किया जाता है फिर भी इसे अत्यधिक परिशुद्ध, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक पद्धति नहीं समझा जाता है। इस स्तर में वस्तुओं को क्रमिक रूप देने के लिये जो अंक प्रदान किये जाते हैं उसमें सामान्य गणितीय संक्रियाओं (जोड़, घटाना, गुणा आदि) का प्रयोग नहीं होता है बल्कि क्रमों पर आधारित सांख्यिकी विधियां ही उपयुक्त रहती हैं। इन क्रम सूचक अंकों से मध्यांक (Medium) शतांशीयमान (Percentile) एवं क्रमबद्ध सह-सम्बन्ध गुणांक (P) की गणनायें सम्भव होती हैं जिनसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या में सहायता मिलती है।

2.6.3 अन्तराल स्तर की मापनी-

इस मापनी में दो वस्तुओं, व्यक्तियों या वर्गों के मध्य दूरी या अन्तर को अंकों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है तथा प्रत्येक अंक का अन्तर सम होता है किन्तु इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि उनमें से कोई भी अंक शून्य से कितनी दूर है क्योंकि इसमें वास्तविक शून्य बिन्दु (Exact Zero Point) नहीं पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वास्तविक मूल्य बिन्दु नहीं होता अतः इस मापनी द्वारा सापेक्षिक मापन (Relative measurement) तो संभव है किन्तु निरपेक्ष (Absolute) मापन नहीं।

2.6.4 अनुपात स्तर की मापनी-

उपर्युक्त मापनी भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन की सर्वोच्च स्तर मापनी मानी जाती है। यह मापनी सर्वाधिक श्रेष्ठ उच्च स्तरीय तथा वैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें अन्तराल मापनी की विशेषताओं के साथ साथ एक सत्य शून्य बिन्दु विद्यमान रहता है जो अन्य किसी भी मापनी में नहीं होता। अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिन्दु (True Zero point) कोई कल्पित बिन्दु नहीं होता, बल्कि इसका आशय किसी शीलगुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। भौतिक मापन में अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहां कि निरपेक्ष शून्य बिन्दु पाया जाता है जैसे किलोमीटर, मीटर आदि। अनुपात स्तर मापनी की प्रत्येक इकाई को दी गयी संख्या मापित गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को प्रकट करती है। इसमें सभी गणितीय संक्रिया का प्रयोग (गुणा, जोड़ आदि) किया जाता है।

2.7 मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन-

बालक/बालिकाओं के गुणात्मक साथ देने हेतु उनकी अभिक्षमताओं, रूचियों, योग्यताओं आदि का सही मूल्यांकन आवश्यक है। यह विस्तृत तथा निरन्तर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें किसी माप (Measure) की उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय कर मूल्य (Value) प्रदान किया जाता है जैसे किसी एक बुद्धि परीक्षण में एक बालक द्वारा प्राप्त "बुद्धि लब्धि (I.Q.) उस बालक को मानसिक रूप से मन्द (Mentally retarded)

की श्रेणी में मूल्यांकित करती है। यह उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Assessment) है।

मूल्यांकन में तीन क्रियायें सन्निहित हैं-

- I व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन
- II व्यक्ति की योगताओं का गुणात्मक वर्णन
- III व्यक्ति की उपलब्धि व योग्यताओं का मूल्य निर्णय

मूल्यांकन के अन्तर्गत व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से जो उत्तम और वांछनीय होता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन व्यवस्थित विधि से करने के लिये समस्या से सम्बन्धित मनोविज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और निष्कर्षों के आधार पर किसी व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सुभाव प्रदान किये जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा निम्नांकित रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है-

- (1) उपलब्धि स्तर और प्रगति का मूल्यस्तर
- (2) अभिक्षमता का मूल्यांकन
- (3) रुचियों का मूल्यांकन
- (4) विभिन्न समस्याओं का मूल्यांकन
- (5) समायोजन का मापन
- (6) मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन
- (7) अन्य वृत्तियों का मापन
- (8) व्यक्तित्व का मूल्यांकन

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिये मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपयोग में लाये जाते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक सुनियोजित योजना बनाई जाती है।

- (1) पहला - परीक्षण प्रशासित करना।
- (2) दूसरा - मूल्यांकन करना।
- (3) तीसरा - अंकों का विश्लेषण करना।
- (4) चौथा- प्राप्त फल के अनुसार मार्गदर्शन देना
- (5) पाँचवा - अनुवर्ती अध्ययन करना

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की उपयोगिता

- (1) मार्ग दर्शन कार्यक्रम में वास्तविक प्रदत्त मिल जाने से परामर्श में सहायता मिलती है।
- (2) समय और परिश्रम की बचत होती है।
- (3) अभिरूचि और योग्यतानुसार विषय और कार्य मिल जाने से विकास एवं प्रगति की पूर्ण सम्भावना होती है।
- (4) व्यक्तित्व परीक्षणों से समस्या का वास्तविक निदान प्राप्त होता है और समस्या समाधान के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में समायोजन हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होता है।

मार्ग दर्शन और परामर्श हेतु विभिन्न परीक्षण प्रयोग में लाये जाते हैं जो शब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत, सामूहिक हो सकते हैं।

- (1) बुद्धि परीक्षण

- (2) अभिरूचि परीक्षण
- (3) अभिक्षमता परीक्षण
- (4) उपलब्धि परीक्षण
- (5) व्यक्तित्व सम्बन्धी परीक्षण
- (6) प्रक्षेपी परीक्षण

मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के आन्तरिक एवं बाह्य गुणों का मापन और मूल्यांकन प्रभावी और विश्वसनीय विधि से किया जा सकता है। इनसे प्राप्त निष्कर्ष उपयोगी सूचनायें हैं, जिसके आधार पर मार्ग दर्शन और परामर्श प्रदान किया जा सकता है।

इकाई-3 सामूहिक निर्देशन एवं व्यक्तिगत निर्देशन:- (Group Counselling and Individual Counselling)

1. प्रस्तावना:-
2. सामूहिक परामर्शन का महत्व
3. समूह कैसा होना चाहिए।
4. सामूहिक परीक्षण देने की विधियां।
5. व्यक्तिगत परीक्षण।

सामूहिक परामर्श (Group counselling)

प्रस्तावना:-

आधुनिक जीवन में समूह का अत्यधिक महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह के सम्पर्क में रहता है। परिवार व्यक्ति के लिए प्राथमिक समूह है। समाज में व्यक्ति का सम्बन्ध दूसरों के साथ किस प्रकार का होता है यह बहुत कुछ उसके पारिवारिक जीवन के अनुभवों पर निर्भर होता है। समूह में रहकर व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है अतएव आधुनिक समय में निर्देशन व परामर्शन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समूह उपागम पर बहुत बल दिया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान यह स्वीकार करता है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई होता है जिसका समरूप कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है किन्तु प्रत्येक समूह के अन्दर सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ समानता भी होती है। कोई भी योग्य और अनुभवी परामर्शदाता न तो व्यक्ति की विशिष्टता की अनदेखी कर सकता है और न ही समूह के अन्य सदस्यों के साथ समानता की उपेक्षा कर सकता है परामर्शी के सामने वास्तविक समाज का एक लघु रूप होता है। इस परिस्थिति में परामर्शन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से व्यक्ति परामर्शन विधि की एक कमी सरलतापूर्वक दूर हो जाती है। परामर्शन सत्र और बाह्य परिवेश के बीच व्यक्ति परामर्शन प्रविधि में पाया जाने वाला अन्तराल समूह प्रविधि में बहुत कुछ समाप्त हो जाता है। समूह की परिस्थिति में निर्देशन एवं परामर्शन प्राप्त करने वाले व्यक्ति उन व्यवहार प्रणालियों का जिनका वहाँ अधिगम किया गया है वही पर परीक्षण भी कर सकता है। वास्तविक सामाजिक जीवन में नये अर्जित व्यवहार का प्रयोग करते समय व्यक्ति को संकोच, घबराहट का सामना करना पड़ता है जबकि निर्देशात्मक समूह परिस्थिति संरक्षित अवसर प्रदान करती है। इसलिए आजकल समूह उपागम पर बहुत बल दिया जाता है।

मनोवैज्ञानिक केम्प ने सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक में लिखा है कि "व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अर्थपूर्ण सम्बन्धों की आवश्यकता होती है और बहुतों को तो इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर जीवन के महत्व और उद्देश्य से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है। अतः सामूहिक परामर्श के रूचि और इसका सम्बन्धों का प्रयोग अधिक होने लगा है।"

समान आयु वर्ग, समान बुद्धि स्तर, समान समस्या से ग्रस्त परामर्श प्रार्थी को एक साथ दिया जाने वाला परामर्श सामूहिक परामर्श कहलाता है। सामूहिक रूप से दिये जाने वाले परामर्श से जहाँ एक और समय, श्रम साधन तथा धन की बचत होती है वही दूसरी ओर समूह में व्यक्ति एक दूसरे के विचार, आचार विचार व्यवहार अनुभवों से स्वयं समस्या का समाधान भी कर लेने योग्य बन जाता है। सामूहिक परामर्श में एक कुशल परामर्शदाता परामर्श प्रार्थियों को अन्यो के साथ विचार विनिमय एवं अनुभवों आदान प्रदान के अवसर प्रदान करता है। यह ऐसा अवसर प्रदान करता है जिनमें भीति विकसित होती है आत्मबोध की सविधा मिलती है, परिपक्वता में बृद्धि

कार्य करने के लिये तर्कसंगत निर्णय लिए जाते हैं। इसमें ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें मनोचिकित्सा के लाभ प्राप्त किये जाते हैं और सामाजिक कुशलता का विकास होता है। वैयक्तिक परामर्शन की प्रक्रिया निर्देशन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में प्रयुक्त होती है किन्तु इस प्रणाली द्वारा बहुसंख्यक छात्रों एवं अन्य लोगों की भली प्रकार सेवा नहीं की जा सकती है। अतः विकल्प के रूप में समूह निर्देशन प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। समय, श्रम एवं संसाधनों की दृष्टि से अल्पव्ययी होने के अतिरिक्त समूह प्रविधि के अनेक मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं।

समूह परामर्शन का महत्व :-

प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना अधिक उचित समझा करता था परन्तु आधुनिक युग में सामूहिक रूप से परामर्श दिये जाने हेतु वकालत किया जाने लगा है। सामूहिक परामर्श का प्रचलन बढ़ने के अनेक कारण हैं और इन सभी कारणों का अपना-अपना महत्व भी है-

(1) समय की बचत:-

सामूहिक रूप से दिये जाने वाले परामर्श कार्य का महत्व अत्यधिक बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि इस विधि द्वारा समय की बचत होती है। विद्यालय में अनेक छात्रों की समस्याएं समान होती हैं। इस समान समस्याओं पर पृथक-पृथक विचार करने पर समय का अधिक अपव्यय होता है। अतः समय की बचत के लिए सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना तर्कसंगत प्रतीत होता है।

(2) प्रशिक्षित परामर्शदाता के अभाव के कारण

परामर्श प्रार्थी/छात्रों की संख्या के मुकाबले प्रशिक्षित परामर्शदाता की कमी है अधिकांश विद्यालय में स्कूल काउन्सलर का अभाव और विद्यालय में प्रति वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक संरचना, तथा समाज की अपेक्षाओं के कारण दिन प्रतिदिन व्यक्ति की समस्या बढ़ती जा रही है अतः परामर्शदाताओं के लिए यह असम्भव हो जाता है कि सभी व्यक्तियों की समस्याओं पर व्यक्तिगत अध्ययन कर के उन्हें व्यक्तिगत रूप से परामर्श दिया जा सके हाब्स ने भी प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव तथा परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को देखकर सामूहिक परामर्श की विधियों को प्रयोग में लाने की सलाह दी है।

(3) कुछ सेवाओं के लिए स्वाभाविक :-

कुछ ऐसी सेवाओं जैसे स्कूल सेवा शिक्षा एवं व्यवसाय जगत के विषय में सूचना देने के लिए समूह दशा स्वाभाविक रूप से अधिक उपयुक्त होती है। शिक्षण कार्य से मिलती जुलती क्रियायें जैसे-नवीन व्यवसायों के बारे में सूचनायें देना तथा नवीन छात्रों को विद्यालय की कार्य प्रणाली का परिचय कराने के लिए सामूहिक कार्य विधि अधिक उपयुक्त होती है।

(4) व्यक्तिगत परामर्श के लिए उचित पृष्ठभूमि

सामूहिक परामर्श के द्वारा व्यक्तिगत परामर्श के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही सकती है क्योंकि सामूहिक प्रक्रिया के माध्यम से छात्र एवं परामर्शदाता के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। परामर्शप्रार्थी परामर्शदाता से परिचित हो जाता है फिर अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर परामर्शदाता के पास जाने में संकोच नहीं करता।

(5) वास्तविकता से परिचय :-

समूह में बैठकर परामर्शप्रार्थी को यह अनुभव होता है कि उसके जैसी अन्य लोगों की भी समस्या है। वह अकेला व्यक्ति नहीं है जिसकी इस प्रकार आवश्यकता है। दूसरों को भी अपनी जैसी समस्या से ग्रस्त जानकर व्यक्ति का है। वह हतोत्साहित नहीं होता और उसे प्रतीत होता है अन्य व्यक्ति जैसी समस्याओं से ग्रस्त होते हुए भी प्रसन्न है तथा उन्हें समस्या समाधान की उम्मीद

भी समस्या दूर हो सकती है।

(6) भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर :-

समूह में व्यक्ति रह कर सामंजस्य करना सीखता है। समूह के छात्रों/परामर्शप्रार्थी को भावनात्मक आघात में कमी आती है। कुछ छात्रों में जो कुसमायोजन से ग्रसित होते हैं, सामूहिक कार्य विधि द्वारा सामाजिक दक्षता का विकास होता है। समूह छात्रों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है। समूह ऐसे छात्रों को अपने मनोभावों पर नियन्त्रण रखने एवं उनको संतुलित रखने में सहायता प्रदान करते हैं।

(7) संसाधन तथा धन का पूर्ण उपयोग :-

सामूहिक परामर्श में एक प्रशिक्षित परामर्शदाता एक स्थान पर ही कई परामर्शप्रार्थी को एक ही समय पर बहुत अधिक सूचना देते हुए समस्या का समाधान करता है जिससे परामर्श देने हेतु संसाधन, परामर्शदाता पर लगा खर्च आदि एक ही लगता है।

(8) सर्वसामान्य समस्या पर केन्द्रित:-

समूह की परिस्थिति में सभी लोगो का ध्यान किसी सर्वसामान्य समस्या पर केन्द्रित होने से समस्या का समाधान सरलतापूर्वक प्राप्त हो पाता है तथा ऐसा समाधान सरलतापूर्वक सर्वगाह्य होता है। ऐसे समाधान को प्राप्त कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए वैयक्तिक उपागम की श्रेष्ठतम दशाओं में भी कठिन होता है।

(9) सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक परिणाम :-

समूह उपागम वैयक्तिक उपागम में सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक परिणाम प्राप्त कर पाने के लिए उपयुक्त आधारभूमि तैयार करता है।

उपर्युक्त विशेषतायें बाह्य कारकों की श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध कार्य को सरल अल्पव्ययी ढंग से पूरा करने से है किन्तु समूह उपागम स्वयं में कतिपय श्रेष्ठताओं के लिए भी पसंद किया जाता है। समूह की दशा का व्यवहार परिवर्तन और समायोजनात्मक अधिगम की गत्यात्मकता से गहरा सम्बन्ध है। सामूहिक परिस्थियों में विचार विमर्श, अन्तर्क्रिया, भावनात्मक अभिव्यक्ति एवं भागीदारी का सदस्यों के लिए उपचारात्मक महत्व होता है। अतः व्यक्ति की अभिप्रेरणाओं, संज्ञानों, अनुभूतियों एवं आत्म संप्रत्ययों पर समूह उपागम के माध्यम से ध्यान केन्द्रित करके समायोजनात्मक समस्याओं के क्षेत्र में उनकी अच्छी सहायता की जा सकती है।

- समूह कैसा होना चाहिए :-

सामूहिक परामर्श देते समय समूह के सदस्यों का चयन करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। समूह का आकार समूह में परामर्श चाहने वाले परामर्श प्रार्थी की आवश्यक योग्यताओं को ध्यान में रखकर समूह निर्माण किया जाना चाहिए अन्यथा परामर्श प्रक्रिया व्यर्थ चली जाती है समूह के सदस्यों का चयन करते समय निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

आयु :-

समूह जिसे परामर्श दिया जाना है अनेक प्रत्येक सदस्य को लगभग समान वय का होना चाहिए अलग-अलग आयु के सदस्यों की समस्या (चाहे सबकी एक ही समस्या क्या न हो) का समाधान अलग अलग ढंग से करना उपयोगी होता है। छोटे बच्चों की समस्या का समाधान करने का ढंग तथा बूढ़ों की समस्या समाधान करने में अंतर होता है। वयस्क व्यक्ति अधिक परिपक्व होता है इसलिए समूह के सदस्यों की आयु अवस्था लगभग एक होनी चाहिए।

(2) परिपक्वता-

समूह के अनुभवों से लाभान्वित होने एवं सूझ विकसित करने के लिए व्यक्ति में कुछ परिपक्वता का होना आवश्यक है।

(3) बन्धि

लगभग समान बुद्धि स्तर के व्यक्तियों का समूह होना चाहिए अन्यथा कम बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रखर बुद्धि के व्यक्तियों की बात समझ नहीं आयेगी साथ ही सामंजस्य भी कठिनाई आयेगी। अतः कम बुद्धि सामान्य व प्रखर बुद्धि वाले परामर्श प्रार्थी के लिए- अलग निर्माण किये जाने चाहिए।

4) समय -

समूहिक परामर्श के लिए समय पहले ही निर्धारित कर लिया जाना चाहिए साथ ही सामूहिक कार्य के भाग लेने के लिए छात्र व्यक्ति के पास पर्याप्त समय होना चाहिए यदि समय का अभाव होता है तो परामर्शदाता की वार्ता को न तो उचित ढंग से सुनता न ही परामर्शप्रक्रिया में मन से काम लेता है।

5) एकरूपता

समूह के सदस्य एवं उनकी समस्याओं में समानता होनी चाहिए। अलग-अलग समस्या के लिए अलग-अलग परामर्श दिया जाना उपयुक्त होता है।

सामूहिक परामर्श देने की विविध परिस्थितियां

सामूहिक परामर्श प्रदान करने से समय, श्रम, संसाधन अर्थ, कार्मिक (परामर्शप्रार्थी आदि) की बचत होती है। अतः सामूहिक परामर्श का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सामूहिक परामर्श प्रदान करने के लिए विविध परिस्थितियां होती हैं जिनके माध्यम से सामूहिक परामर्श प्रदान किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं:-

1) नियमित शिक्षण कक्षाएँ :-

सामूहिक परामर्श नियमित अध्ययन कक्षाओं में सरलतापूर्वक सुलभ कराई जा सकती है। अध्ययन कक्षा समूह के रूप में पहले से ही निर्मित होता है उसमें समान वय तथा समान समस्या से ग्रस्त छात्र होते हैं सामूहिक परामर्श द्वारा एक ही समय में उनकी समस्या समाधान कर व्यक्तित्व विकास में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामग्री के माध्यम से जीवन के विविध प्रसंगों में संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2) विद्यालय सभा :-

कुछ विद्यालयों में नियमित रूप से प्रतिदिन सभाएँ होती हैं कहीं हफ्ते में एक या दो दिन, और प्रार्थना सभा तो प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन होती है। इन सभाओं के माध्यम से सामान्य सूचनाएँ छात्रों को दी जा सकती हैं। महाविद्यालयों में जहाँ प्रार्थना सभा नहीं होती है वहाँ हफ्ते में किसी विशिष्ट वक्ता को बुलाकर सभा की व्यवस्था की जाती है।

3) क्लब

बच्चे अपने समवयस्क बच्चों के साथ अधिक स्वतन्त्रता अनुभव करते हैं और सहज अभिव्यक्ति कर पाते हैं। बच्चे अपने ही जैसे विचारों वाले सहपाठियों की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का दिग्दर्शन अपने जैसे सहपाठियों में कर सकते हैं। इन क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम क्लब ही है। क्लब अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे आर्ट क्लब, विज्ञान क्लब, कम्प्यूटर क्लब आदि इन क्लबों के माध्यम से छात्र विषय से सम्बन्धित व्यवसायों पर विचार करने का अवसर प्राप्त करते हैं इन क्लबों के सदस्य को विषय से सम्बन्धित व्यवसाय की अधिक जानकारी परामर्शदाता प्रदान करता है क्योंकि उन क्लब के सदस्यों के उन विषयों में रुचि होती है और जब उन विषयों से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है तो वे रुचि पूर्वक उसे ग्रहण कर उसका लाभ उठाते हैं।

विद्यालय स्थित गृह कक्ष-

गृह कक्ष योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को 25-30 छात्र सौंप दिये जाते हैं जो एक निश्चित कालांश में एक कक्ष में बैठकर परस्पर बातचीत करते हैं। इस बातचीत

के दौरान किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती है। कक्ष का वातावरण बिल्कुल ऐसा रखा जाता है जैसा कि घर का होता है। यहाँ अध्यापक इन बालकों के साथ सम्पर्कों के घनिष्ठ करता है और सम्पर्क की घनिष्ठता के माध्यम से वह बालक की आवश्यकताओं इच्छाओं, दुर्बलताओं आदि का ज्ञान प्राप्त करता है और उन्हें परामर्शदाता को अवगत करा देता है।

आजीविका से सम्बन्धित पाठ्यक्रम एवं कैरियर सम्मेलन-

आजीविका से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं के बारे में सूचनाये उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिभागियों को विभिन्न अवसरों के बारे में अन्वेषणात्मक अभिवृत्ति अपनाते हुए उसमें अपनी रुचियों और उन्मुक्तता एवं सम्भावना का परीक्षण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कैरियर कान्फ्रेंस के अन्तर्गत कई बैठकों का आयोजन किया जाता है जहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों की माँग उपलब्धता और उसके शामिल अवसरों के बारे में परिचय दिया जाता है जिसके आधार पर उन्हें अपनी शैक्षिक एवं व्यवसायिक योजनाओं को गठित करने के सहायता मिलती है।

समूह भ्रमण-

सामूहिक रूप से ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं अन्य महत्वपूर्ण एवं उपयोगी स्थलों के भ्रमण द्वारा छात्रों को महत्वपूर्ण सूचनाये दी जा सकती है जिसके आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन एवं तैयारी में सहयोग मिलता है।

व्यक्ति सम्मेलन

इस प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की वास्तविक अथवा काल्पनिक समस्याओं को सामने रखकर उसके समाधान के लिए उन व्यक्तियों/ छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो उस सामूहिक विचार विमर्श में सम्मिलित होकर व्यवहारगत समस्याओं अथवा शैक्षिक या व्यावसायिक चयन एवं तैयारी के विषय में अनेक प्रकार से अधिगम कर सकते हैं।

सह शैक्षिक कार्य दशाएं-

शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विद्यार्थियों की अन्य गतिविधियों, जैसे सह शैक्षिक कार्य स्थल, सभागार, स्टेडियम जैसे स्थलों पर निर्देशन कार्यक्रम को संगठित करने से वैसे ही लाभ प्राप्त होता है जैसे कि शिक्षण परिस्थितियों में प्राप्त होता है। कई सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि ऐसी परिस्थितियों में अभिव्यक्ति का अवसर अधिक होने के कारण सहपाठियों को अधिक लाभ मिलता है सभागार, पुस्तकालय आदि केन्द्रों द्वारा सूचना देने के अतिरिक्त वैयक्तिक परामर्श हेतु परामर्श प्रार्थी को तैयार किया जा सकता है।

परामर्शदाता द्वारा गठित समूह -

परामर्शदाता ऐसे समूहों का गठन करता है जिसमें विचार विमर्श के केन्द्र में ऐसी समस्या होती है, जिसमें बहुधा समूह के सभी सदस्यों की न्यूनाधिक रुचि होती है। पहले से गठित समूह के व्यक्तियों की अपनी अलग-अलग प्रकार की रुचि एवं समस्या होती है उन समूहों के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श तो उचित रहता है परन्तु व्यक्तिगत समस्या के लिए यदि समूह परामर्श देने की आवश्यकता होती है तो परामर्शदाता एक जैसी रुचि वाले परामर्श प्रार्थी का समूह बनाकर समूह परामर्श देकर सफलता प्राप्त कर सकता है।

समूह परामर्श की प्रक्रिया-

परामर्श व्यक्ति या समूह के संदर्भ में तभी प्रभावी हो सकता है जबकि उनका लक्ष्य, भली भाँति परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी दोनों के द्वारा समझा जाये और आत्मीकृत कर लिया जाये। समूह परामर्श में व्यक्ति की सहायता के लिए अन्य सदस्यों का सहयोग, एवं अतिरिक्त अनिवार्यता है। समूह परामर्श देते समय परामर्शदाता के निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-

(1) प्रत्येक सदस्य के लक्ष्यों का ज्ञान-

परामर्श प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु समूह के सदस्यों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को भलीभाँति समझकर परामर्श कार्य किया जाना चाहिए जिससे परामर्श का प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। उद्देश्य जान लेने से परामर्शदाता उद्देश्य से सम्बन्धित आवश्यक बातें करता है लक्ष्य पर चलता है और इधर उधर भटकता नहीं जिससे समय तथा श्रम की बचत तो होती ही है साथ ही उचित परामर्श द्वारा परामर्श प्रार्थी लाभान्वित भी होता है।

(2) संगठनात्मक निर्णय-

परामर्शदाता यदि समूह के संगठनात्मक निर्णयों को परामर्श-योजना में पर्याप्त महत्व देता है तो परामर्श कार्य अधिक प्रभावी हो जाता है। संगठनात्मक निर्माण को शामिल करने तथा महत्व देने से समूह के सदस्य संतुष्ट होते हैं और सोचते हैं कि उनके विचारों को समझा जा रहा है तथा उनकी भी कुछ अहमियत है।

(3) समूह निर्माण-

समूह निर्माण में परामर्शदाता को अत्यन्त सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसे समूह निर्माण के समय यह ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के संयोजन से समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है।

(4) आरम्भ करने की विधि-

समूह परामर्श प्रारम्भ करते समय ही परामर्शदाता को अपनी तथा अन्य सदस्यों की भूमिका, अपने आने का प्रयोजन, आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर देनी चाहिए। समूह से इस प्रकार वार्ता करनी चाहिए जिससे परामर्शदाता एवं समूह के मध्य तालमेल बन जाये और समूह के किसी सदस्य को कुछ पूछना हो तो निःसंकोच पूछ सके। सभी सदस्यों के द्वारा परामर्श कार्य में व्यापक योगदान देने की प्रवृत्ति को परामर्शदाता द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(5) सम्बन्धों का निर्माण-

प्रारम्भ में ही परामर्शदाता को समूह के लक्ष्य से भली भाँति परिचित हो जाना चाहिए एवं उस उद्देश्य को बराबर मस्तिष्क में बनाये रखना चाहिए। जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है सदस्य का अपने मूल लक्ष्य से दूर होने की सम्भवा बढ़ती जाती है तब परामर्शदाता उसको उनके लक्ष्यों का पुनर्स्मरण कराता जाता है। परामर्शदाता को ईमानदारी व निष्पक्ष रूचि अन्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाने में सफल होती है कि वह सदस्यों की सहायता के लिए पूर्ण व सदैव तत्पर है।

(6) समूह सदस्यता से निष्कासन-

समूह के सदस्यों में विभिन्नता होती है जिसके कारण कुछ सदस्य जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं कुछ को अधिक समय लगता है ऐसे में परामर्शदाता को यह निर्णय लेना पड़ता है कि केवल कुछ सदस्य ही सदस्यता त्यागेंगे या समस्त समूह को समाप्त कर दिया जाये। यदि समूह में से कुछ अधिक सक्रिय सदस्यों को पृथक कर दिया जाता है, तो इन सदस्यों के सम्बन्ध अन्य समूह सदस्यों से बिछिन्न हो जायेंगे, परिणाम स्वरूप समूह परामर्श की प्रभावकता घट जायेगी। नये सदस्य को शामिल करने पर संचार परस्पर विश्वास की समस्या के कारण समूह प्रभावकता के कमी आने की सम्भावना होती है। इसलिए समूह की पुनर्रचना उसी स्थिति में की जानी चाहिए जबकि यह पुनर्रचित समूह नये व पुराने सदस्यों की सहायता के लिए पर्याप्त समय तक बना रहे और सभी सदस्य निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

(7) प्रतिफल का मूल्यांकन-

समूह परामर्श का अंतिम चरण परामर्श की प्रभावकता का मापन है। समूह के साथ कार्य करते समय मूल्यांकन सम्भव नहीं है, लक्ष्य अवश्य मापा जा सकता है। अतः परामर्शदाता को लक्ष्यों की विवेचना इस रूप में करनी चाहिए जिससे उसका स्वरूप मापनीय

समूह परामर्श में प्रयुक्त प्रविधियाँ

समूह परामर्श प्रदान की निम्नलिखित विधियों की सहायता ली जा सकती है-

(1) पुनर्शिक्षण प्रविधि-

इस प्रविधि द्वारा लोगों को भाषण, वाद-विवाद, फिल्म प्रदर्शन आदि साधनों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है इस विधि द्वारा लोगों में आत्मनिर्भरता विकसित की जाती है जिससे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का अच्छा प्रबन्धन कर सके यह प्रविधि समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है चिन्ता और तनाव का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक विश्रान्ति प्रशिक्षण के लिए समूह दशा उपयुक्त मानी जाती है।

(2) व्यक्ति केन्द्रित प्रविधियाँ-

रोजर्स द्वारा विकसित यह विधि परामर्शन परिवेश के व्यक्ति केन्द्रित परामर्शन की प्रणाली का समूह दशा में अत्यन्त सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली का मुख्य आधार सकारात्मक सम्मान पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय के बिना व्यक्ति को स्वीकार करना तथा परानुभूति एवं इस प्रकार के बोध का सम्प्रेषण किया जाना होता है। समूह की दशा में जब व्यक्ति को अपने अनुभवों और अनुभूतियों को अन्य व्यक्तियों के साथ बाँटने का अवसर मिलता है तथा अन्य व्यक्तियों के समान समस्याओं को व्याप्ति का बोध प्राप्त होता है तब रोगी को लाभ की प्राप्ति सहज रूप में होती है।

(3) मनोनाटक-

मोरेनो ने सामाजिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में समूह मनोपचार की तकनीक के रूप में मनोनाटक प्रविधि का विकास किया। कलायंत्र द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम के अनुरूप नाटक में उपयुक्त भूमिका का निर्वाह किये जाने से आत्मविश्वास का विकास करने, भय से मुक्ति अर्जित कराने, नेतृत्व का गुण विकसित करने जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। मनोनाटक विधि के अनेक रूपान्तरण होते हैं- (1) भूमिका परिवर्तन प्रविधि (2) आत्म कथन प्रविधि (3) दर्पण प्रविधि (4) आवर्ती उद्दीपक प्रविधि (5) मूक प्रविधि।

संवेदनशीलता प्रशिक्षण

इस प्रविधि का विकास समूह की गत्यात्मकता का अध्ययन करने के लिए किया गया था। समूह के सदस्य किसी तात्कालिक विषय या समस्या पर विचार-विमर्श करते हुए अधिगम का अवसर भी प्राप्त करते हैं। समूह में रहकर व्यक्ति सीखता है कि अन्य लोग उसके विचार पर किस रूप में प्रतिक्रिया करते हैं, वे अपनी विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का कैसे प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करते हैं। व्यक्ति समूह की गत्यात्मकता के बारे में भी अधिगम करते हैं।

इनकाउन्टर ग्रुप प्रविधि-

समूह परामर्शन की यह प्रविधि आधुनिक प्रविधि मानी जाती है। बहुधा यह प्रविधि अल्प अवधि के लिए, आमने सामने की गहन अन्तर्क्रिया के रूप में कार्य करती है जिसमें सदस्यों को मुक्त परिवेश में निष्ठापूर्वक आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रविधि का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के बोध का विकास करने के लिए भी किया जाता है।

सामूहिक परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका -

सामूहिक परामर्श के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है कि परामर्शदाता को सामूहिक प्रक्रियाओं के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाये सफल परामर्श के लिए परामर्शदाता में निम्न लिखित गुण होने चाहिए-

- (1) उसमें व्यक्तियों का प्रेरणा देने एवं उनकी रूचियों को जागृत करने की योग्यता होनी चाहिए।
- (2) उसको निरीक्षण कला में निपुण होना चाहिए ताकि वह विभिन्न समूह के गुण एवं सामान्य दशा को समझ सके।
- (3) परामर्शदाता कार्य निपुण, लचीला एवं सचेत होना चाहिए।
- (4) परामर्शदाता को निर्देशन के कार्य शैक्षिक प्रक्रिया तथा व्यक्तियों का उत्तम ज्ञान होना चाहिए ताकि वह व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाकर उनकी संतुष्टि का प्रयत्न कर सके।
- (5) उसको समूहों को प्रभावशाली ढंग से संगठित करने की कला में निपुण होना चाहिए। उसकी यह निपुणता छात्रों तथा सहयोगियों के साथ स्थापित सम्बन्धों में परिलक्षित होती है।
- (6) वार्तालाप के लिए विषयों की पहिचान करने एवं चुनाव करने की कल्पना-शक्ति से परामर्शदाता को सुसज्जित होना चाहिए।
- (7) उनमें व्यक्तियों की भलाई और निर्देशन प्रयत्नों के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए वह छात्रों की सहायता के लिए जो भी कार्य करता है उसे व्यावसायिक कार्य न समझकर उसके साथ आत्मिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए।

भारत में निर्देशन सेवाओं का व्यापक विस्तार न होने से परामर्शदाता के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है आर्थिक परिस्थितियों, सीमित संसाधन प्रशिक्षित परामर्शदाता की कमी, जागरूकता के अभाव, समय आदि के कारण व्यक्तिगत परामर्श देना कठिन हो जाता है। माता-पिता, विद्यालय, अध्यापको एवं परामर्शदाता के मध्य सहयोग एवं संचार के अभाव के कारण परामर्श का आयोजन नहीं हो पाता। छात्र/व्यक्ति को भी यह जागरूकता नहीं होती कि वह कहाँ कैसे तथा किससे परामर्श लेकर समस्या का समाधान कर सकता है। इसके लिए परामर्शदाता को व्यक्तियों को जागरूक बनाने के लिए तथा उन्हें परामर्श हेतु प्रेरित करने हेतु सामूहिक परामर्श देकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारतीय परिवेश तथा सीमित संसाधन तथा परामर्शदाता की कमी को देखते हुए सामूहिक परामर्श अधिक उपयुक्त और प्रभावी प्रतीत होता है। सामूहिक परामर्श में एक ही समय में बहुत अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है तथा परामर्श प्रक्रिया से परिचित कराया जा सकता है।

व्यक्तिगत परामर्श INDIVIDUAL COUNSELLING

परामर्श सेवा के माध्यम से व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम सम्भव विकास के लिए सहयोग प्रदान करना होता है। परामर्शन प्रक्रिया में व्यक्ति ही केन्द्र बिन्दु में होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। व्यक्तित्व विभिन्नताओं जैसे-आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, व्यावसायिक लक्ष्य, समायोजनात्मक समस्याएँ आदि के कारण व्यक्तिगत रूप से परामर्श देना उचित एवं प्रभावशाली होता है। यद्यपि सामूहिक रूप से निर्देशन देने में समय, धन, संसाधन तथा प्रशिक्षित व्यक्ति आदि की उपलब्धता में अधिक आसानी होती है परन्तु परामर्श चूँकि व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या में अधिक सम्बन्धित होती है और मानव के व्यक्तिगत जीवन के चार प्रमुख पक्ष- सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक एवं मानसिक पक्षों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना परामर्श का उद्देश्य है अतः परामर्श के क्षेत्र में व्यक्तिगत परामर्शन का अधिक महत्व है। व्यक्ति की वैयक्तिक समस्याएँ जैसे परिवार की, स्वास्थ्य की, संवेग एवं सामाजिक सामंजस्य सम्बन्धी समस्याएँ, अवकाश के उपयोग की समस्याएँ, धार्मिक समस्याएँ आदि व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्तिगत परामर्श प्रक्रिया अपनायी जाती है और व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास में सहायता प्रदान की जाती है।

परामर्श प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से दिया गया परामर्श व्यक्तिगत परामर्श कहलाता है। मायर्स के अनुसार, "वस्तुतः परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति के साथ उसके शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक या अन्य योजनाओं को प्रभावित करने वाली उसकी किन्हीं व्यक्तिगत सामर्थ्यों और सीमाओं (कमियों) के बारे में विचार करने, सामर्थ्यों का विकास करने और कमियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है।" चूँकि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं होता उनके शारीरिक गठन एवं शारीरिक विकास में अन्तर होता है उनकी रुचियों बुद्धि दृष्टिकोणों एवं मानसिक विकास में अन्तर होता है। भावों की अभिव्यक्ति एवं सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया भी सभी में एक जैसी नहीं पाई जाती है। व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, स्वाभाव एवं क्षमताओं के अनुरूप, शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उचित समायोजन के लिए व्यक्तिगत परामर्श आवश्यक होता है।

व्यक्ति की शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं पर उसकी व्यक्तिगत समस्यायें प्रभाव डालती हैं और शैक्षिक एवं व्यावसायिक सफलता अथवा असफलता वैयक्तिक समस्याओं को प्रभावित करती हैं इसलिए व्यक्तिगत परामर्श प्रक्रम व्यक्तित्व की पूर्णता एवं जटिलता को ध्यान में रखते हुए परामर्श के विभिन्न प्ररूपों में एक अन्तर्सम्बन्ध स्वीकार करता है।

व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन का अभिन्न सम्बन्ध सामाजिक जीवन से है। व्यक्तिगत परामर्श में समस्याओं के वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक परामर्श व्यक्ति की शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्रियाओं, समायोजन सम्बन्धी समस्या, पारिवारिक समस्या, अवकाश के सदुपयोग एवं नैतिक विकास की क्रियाओं से सम्बन्ध रखता है।

वैयक्तिक परामर्श का उद्देश्य :-

वैयक्तिक परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्यायें जिनका सम्बन्ध I, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, संवैगात्मक, अस्थिरता, स्वास्थ्य, शारीरिक विकास आदि से होता है, उनके समाधान में सहायता प्रदान करना होता है। व्यक्तिगत परामर्श के निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते हैं।

- (1) व्यक्ति के स्वास्थ्य, शारीरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था में सहायता करना।
- (2) भावात्मक नियंत्रण के अभ्यास से लाभ उठाने के छात्र की सहायता करना।
- (3) ऐसे अवसरों की व्यवस्था करना जिसमें व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए परस्पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रोत्साहन मिले।
- (4) विद्यार्थी व्यक्ति को परावलम्बन से हटकर स्वतंत्र निर्णय और कार्य करने में सहायता करना।

व्यक्तिगत समस्याओं के प्रकार :-

मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर विद्वानों ने व्यक्तिगत समस्याओं के समझने एवं उनका वर्गीकरण करने के अनेक प्रयत्न किये हैं। अध्ययन के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने जीवन में प्रायः उपस्थित होने वाली समस्याओं का वर्गीकरण शैक्षिक व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों के अन्तर्गत किया है। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर व्यक्तिगत समस्याओं को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है

(1) स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास सम्बन्धी समस्यायें :-

वैयक्तिक समस्याओं में स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास सम्बन्धी समस्याएं प्रमुख हैं। परामर्शप्रार्थी द्वारा वर्णित समस्याओं के निदान में व्यक्तिगत रूप से सहायता दी जाती है।

(2) संवैगात्मक व्यवहार से सम्बन्धित समस्यायें :-

वैयक्तिक समस्याओं में संवैगात्मक समस्यायें अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती हैं और

व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्षों पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति को संवेगात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रतिक्रिया किस प्रकार करनी चाहिए इसमें परामर्शन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(3) पारिवारिक जीवन एवं पारिवारिक सम्बन्धों से सम्बन्धित समस्याएं :-

पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित समस्याएँ नितांत वैयक्तिक होती हैं प्रत्येक व्यक्ति सबके सम्मुख इन समस्याओं पर बात करने में घबराता है वह चाहता है कि उसकी बात अन्य व्यक्ति न जानने पाये इसलिए वह अकेले में इस मामले पर विचार विमर्श करना तथा परामर्श चाहता है इसलिए पारिवारिक समस्या के समाधान के वैयक्तिक परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पारिवारिक स्थिति का व्यक्ति के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहिन तथा घर के अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्बन्धों का स्वरूप कैसा है, उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याएँ पारिवारिक समस्याओं में आती हैं।

(4) यौन प्रेम एवं विवाह सम्बन्धी समस्याएं :-

इससे सम्बन्धित समस्याएँ अत्यंत गोपनीय एवं व्यक्तिगत समस्याएँ होती हैं जिसका व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ही समाधान चाहता है जब वह अकेला होता है वह खुलकर तथा स्वतंत्र रूप से अपनी समस्या का वर्णन कर पाता है। वह यह चाहता है उसकी इस व्यक्तिगत समस्या को पूरी तरह गोपनीय रखा जाये और परामर्शदाता इसका पूरा ध्यान रखते हुए परामर्श प्रदान करता है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से वैयक्तिक परामर्शन प्रक्रिया द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है।

(5) आर्थिक समस्याएँ :-

धन व्यक्ति के जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण साधन है। आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए समुचित परामर्श की अपेक्षा होती है। धन का अभाव सन्तोषजनक आर्थिक जीवन के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों से सम्बन्धित समस्याएँ आर्थिक समस्याओं के वर्ग में रखी जा सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी आर्थिक दशाएँ होती हैं कम धन होने में अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं जिसके कारण व्यक्ति को द्वन्द, कुंठा (Frustration) हीन भावना आदि से ग्रस्त होता है। इसलिए उसे वैयक्तिक परामर्श की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक धन होने पर कहाँ कैसे तथा कितना जमा करना तथा खर्च करना आदि समस्याएँ तथा अधिक धन होने के कारण चिन्तित रहते हैं। धन को अपव्यय से रोककर सही उपयोग की जानकारी हेतु वैयक्तिक परामर्श देकर समस्या-समाधान में सहायता पहुँचाई जाती है।

(6) सामाजिक सम्बन्धों से जुड़ी हुई समस्याएँ :-

सामाजिक समायोजन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। व्यक्ति किस सीमा तक सामाजिक नागरिक एवं मनोरंजन के कार्यों में भाग लेता है, किस प्रकार के व्यक्तियों में रूचि प्रदर्शित करता है एवं किस प्रकार के व्यक्तियों में उसे अरूचि है, सामाजिक सम्बन्धों में कहाँ तक अपने व्यवहार को सन्तोषप्रद पाता है आदि समस्याएँ इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं।

(7) धर्म, चरित्र, आदर्श और मूल्यों से सम्बन्धित समस्याएँ

प्रत्येक व्यक्ति के अपने आदर्श और मूल्य होते हैं जो दूसरे के आदर्शों एवं मूल्यों से टकराते हैं। एक धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को दूसरे के धर्म की विभिन्नता के कारण परेशानी होती है उसमें किस प्रकार से सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हुए सामाज्यस्थ स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए वैयक्तिक रूप से परामर्श देकर समस्या समाधान किया जाता है।

व्यक्तिगत परामर्श की प्रविधि (Individual Counselling Technique)

परामर्शन किसी निर्देशन कार्यक्रम में सम्मिलित सेवाओं का घटक होता है।

“परामर्शन प्रक्रिया एक संयुक्त प्रयत्न है। परामर्शन प्रक्रिया का सार तत्त्व एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कोई व्यक्ति जिसका परामर्शन हो रहा है, स्वयं को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए स्वतन्त्रता का अनुभव करता है तथा अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्टीकरण व उनकी सिद्धि हेतु अपनी सामर्थ्य एवं समस्या प्रकट होने पर समाधान की विधियों तथा साधन के बारे में आत्मविश्वास अर्जित करता है।” वस्तुतः परामर्शन साक्षात्कार व्यक्ति के साथ उसके शैक्षिक, व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक या अन्य योजनाओं को प्रभावित करने वाली उसकी किन्हीं व्यक्तिगत सामर्थ्यों और सीमाओं के बारे में विचार करने, सामर्थ्यों का विकास करने और कमियों को दूर करने की सम्भव विधियों की दिशा में चिन्तन को उन्मुख करने के लिए विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

इस प्रकार परामर्शन वस्तुतः एक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में, लक्ष्यों की सिद्धि की विधियों और उत्पन्न समस्याओं के समाधान के उपायों के विषय में अधिगम करता है। यह प्रक्रिया मूलतः एक व्यक्ति और परामर्शदाता के मध्य वार्ता के माध्यम से कार्य करती है। प्रारम्भिक परामर्शन साक्षात्कार प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का वर्णन प्रस्तुत है :-

(1) परामर्श वार्ता की तैयारी और शुरुआत :-

परामर्श सेवा प्रदान करने के पूर्व यदि परामर्शदाता पूर्ण तैयारी (मानसिक व भौतिक तथा लिखित तैयारी) के साथ परामर्श आरम्भ करता है तो परामर्श के लक्ष्यों को भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। परामर्श को किस दिन किस समय तथा कहाँ बुलाकर परामर्श देना है से लेकर साक्षात्कार के समय किस-किस माध्यम से आंकड़ें एकत्र करना है परामर्शी को वार्ता के क्षेत्र, अपनी समस्या के क्षेत्र जहाँ कि उसे सहयोग की आवश्यकता है, के बारे में स्पष्ट बोध होना चाहिए। परामर्शन आरम्भ करने के पूर्व व्यक्ति के बारे में परीक्षणों एवं मापनियों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी प्रकार की आवश्यक सूचनायें उपलब्ध होनी चाहिए। व्यक्ति की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी परामर्शदाता अपनी संप्रेषणात्मक कुशलताओं एवं ज्ञान तथा प्रशिक्षण की सहायता से परामर्शन साक्षात्कार के आरम्भ में ही प्राप्त कर लेता है। प्रारम्भ में जब प्रयोज्य या परामर्शप्रार्थी के साथ अच्छा सामंजस्य तथा रैपर्ट स्थापित हो जाता है तो प्रार्थी स्वतंत्र होकर अपनी बात कहता है जिससे परामर्श सटीक तथा प्रभावी हो पाता है यदि प्रारम्भ में ही परामर्शदाता का प्रार्थी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो परामर्शी परामर्शदाता पर विश्वास करने लगता है और समझ जाता है कि उसने सही व्यक्ति के सम्मुख अपनी समस्या रखी है जिसका समाधान अवश्य हो जायेगा।

(2) आरम्भिक संरचना का विकास :-

परामर्शी के परामर्शदाता और उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे कि परामर्शी यह निर्धारण कर जाता है कि वह परामर्शदाता से किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा कर सकता है। अनुभवी परामर्शदाता अपनी प्रारम्भिक वार्ता के माध्यम से जहाँ एक ओर परामर्शप्रार्थी के विषय में सूचनायें प्राप्त करता है वही वह अपने विषय के अपने कार्य के क्षेत्र के बारे में तथा परामर्शन प्रक्रिया से सम्बन्धित संरचनात्मक पक्षों आदि के विषय में सरलता पूर्वक अवगत करा लेता है। परामर्शप्रार्थी को भी यह पता रहता है कि उसे कब-कब वार्ता के लिए तथा कितनी अवधि के लिए उसे परामर्शदाता से वार्ता करनी है तथा किस विधि से उसे परामर्श दिया जायेगा। परामर्शदाता अनेक प्रकार की जानकारियाँ लिखित रूप से उपलब्ध करा सकते हैं।

(3) लक्ष्यों की स्थापना :-

परामर्श सेवा के आरम्भ काल में ही परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी मिलकर समस्या के अनुसार उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं उद्देश्य के रूप में रास्ता निर्धारित हो जाने के कारण उद्देश्य पूरा करने में आसानी होती है परामर्शप्रार्थी रास्ते से भटकता नहीं है अन्यथा उद्देश्य कुछ होता है और भटकाने के कारण कुछ अन्य बातों में वह उलझ जाता है तो मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाता। परामर्शदाता एवं परामर्शप्रार्थी

पथार्थता पूर्ण लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारण करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए परामर्शन साक्षात्कार की अवधि में प्रयत्न किया जाना है। परामर्शदाता अपने लिए लक्ष्यों के निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करता है कि परामर्शन प्रक्रिया का रूप क्या होगा, परामर्शी का लक्ष्य प्रायः स्पष्ट होते हैं अथवा सुगठित नहीं होते हैं अतः परामर्शी द्वारा अपने लक्ष्यों अभिव्यक्ति के पश्चात् परामर्शदाता उन्हें वास्तविकतापूर्ण रूप प्रदान करता है।

(4) परामर्शदाता- परामर्शी के मध्य सम्बन्ध का विकास :-

परामर्शन वार्ता आगे बढ़ने पर परामर्शदाता परामर्शी के साथ स्थापित परिचयात्मक सम्बन्धों की ओर सुदृढ़ करता है। वह अपनी वास्तविक रूचियों, मानवीय दृष्टिकोणों, परामर्शी की अवहेलना/ आलोचना से परहेज जैसी विशेषताओं द्वारा परामर्शी को विश्वास दिलाता है कि वह परामर्शी के प्रति पूर्णतः समर्पित है। परामर्श प्रार्थी के हित का ध्यान रखा जाता है। परामर्शदाता उसे विश्वास में लेकर सम्बन्ध सुदृढ़ बनाता है जब प्रार्थी को यह विश्वास हो जाता है कि परामर्शदाता उसी के लिए चिन्तित है उसी की समस्या के विषय में गहन चिन्तन कर, उसी की समस्या समाधान के लिए प्रयत्नरत है और वह समस्या समाधान के लिए इच्छुक है तथा सक्षम है तो वह अपनी समस्या के विषय में स्पष्ट रूप में खुलकर सूचना देता है जिसके कारण परामर्श का परिणाम सकारात्मक होता है।

(5) परामर्शी को वार्ता के लिए प्रोत्साहित करना :-

प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश में अपनी बहुत सी कमियों को छुपाता है जिसके कारण परामर्शदाता को परामर्शप्रार्थी के विषय में पूरी तथा सत्य सूचनायें नहीं प्राप्त हो पाती जिसके कारण वह उचित परामर्श दे सकने में सक्षम नहीं हो पाता। कुछ परामर्शी संकोची स्वभाव होने के कारण अपनी समस्याओं या समस्याओं के कुछ पक्षों के बारे में सरलतापूर्वक बातचीत नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में परामर्शदाता परामर्शी के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है, परामर्शी को अपनी अनुभूतियाँ अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रायः परामर्शदाता की निश्चिन्त प्रकृति और आश्वस्त करने की शैली इस दिशा में सहायक होती है। जब प्रार्थी को यह अनुभव होता है कि वह सही व्यक्ति के सम्मुख आया है जहाँ उसकी समस्या के विषय में गुप्त रखा जायेगा और समस्या का समाधान हो जायेगा तो वह सभी बातें बताता है। परामर्शदाता की भूमिका बहुत अहम होती कि वह प्रार्थी को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि वह अपनी सभी बात स्पष्ट रूप से सही-सही बताये।

(6) वार्ता का समापन :-

वार्ता को आरम्भ करना और समाप्त करना दोनों ही जटिल कार्य होता है यदि वार्ता का विषय व्यक्ति की कोई समायोजनात्मक समस्या है तो समाधान के पूर्व चिन्तायें पुनः सक्रिय हो जाती हैं अतः परामर्शदाता का प्रयत्न होता है कि चिन्ता उत्पन्न करने वाले सांवेगिक क्षेत्रों का परिहार करके व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्षेत्र के पुनर्गठन पर बल दिया जाये। छात्रों के साथ परामर्श करते समय उन्हें वार्ता के उपयोगी पक्षों का सार संक्षेप करने तथा यह मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है कि क्या लक्ष्यों की प्राप्ति हुई? क्या पुनः साक्षात्कार की आवश्यकता है यदि हो तो पुनः परामर्शन वार्ता कब और कहाँ सम्पन्न होगी? जब इन प्रश्नों पर परामर्शी स्पष्ट हो जाता है तब वार्ता की समाप्ति होती है।

जरू(7) अनुवर्तन योजना :-

परामर्शी के साथ वार्ता के प्रत्येक दौर की समाप्ति के पश्चात् परामर्शदाता अभिलेख में आवश्यक सूचनाओं को अंकित करता है जिनका उपयोग अगली वार्ता में किया जायेगा। एक संक्षिप्त टिप्पणी इस हेतु बनायी जाती है कि परामर्शदाता उसे अगली वार्ता से पहले अपनी स्मृतियों को ताजा करने हेतु उपयोग में ला सके।

परामर्शन प्रक्रिया की सफलता के लिए अभिग्रह-

- (1) प्रथम अभिग्रह यह है कि परामर्शी परामर्शन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक है। यदि उसके मन में कुछ शंका है या संकोच है तो उसे दूर किया जाना चाहिए।
- (2) परामर्शदाता के पास यथोचित प्रशिक्षण, अनुभव और उपयुक्त अभिवृत्तियाँ, मूल्य एवं योग्यतायें होनी चाहिए। परामर्शदाता का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण व्यावसायिक और कार्य व्यवहार नैतिक होना चाहिए परामर्शदाता का व्यवहार लचीला होना चाहिए। उसे परामर्शी को वह जैसे भी है वैसा स्वीकार करना चाहिए तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होते हुए लक्ष्यों को स्थापित करने, चिन्तन को बाधाओं से मुक्त करने, विकल्पों का निर्धारण करने, व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करने एवं नये व्यवहार का अधिगम करने, व्यवहार प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन करने में सहयोग देना चाहिए।
- (3) परामर्शी को गोपनीयता का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए। परिवेश सूचना सम्पन्न और विचारशील रूप में प्रकट होना चाहिए।
- (4) परामर्शन प्रक्रिया को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई विशिष्ट समस्या है तो उसके तत्काल समाधान के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य के लिए व्यवहार परिमार्जन पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उपयुक्त व्यवहारों के अधिगम पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वैयक्तिक परामर्शन की प्रक्रिया निर्देशन कार्यक्रम के अधिन्न अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति परामर्शन द्वारा ही संभव है। परामर्शन द्वारा परामर्शी को आत्मबोध की प्राप्ति, समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक क्षमताओं के विकास एवं व्यक्तिगत सीमाओं/कमियों को दूर करने में सहायता मिलती है।

वैयक्तिक परामर्शन में सांवेगिक समस्यायें, व्यक्तिगत जीवन के अन्दर की उलझनें तथा सामाजिक जीवन में आने वाली समायोजनात्मक समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक समायोजन, पारिवारिक समायोजन, वैवाहिक समायोजन; अवकाश के क्षेत्रों के साथ समायोजन, भविष्य एवं अल्पकालिक कार्य क्षेत्रों में समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि अनेक क्षेत्र व्यक्तिगत समायोजन की सीमा में सम्मिलित किये जाते हैं। आधुनिक जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के बदलते स्वरूप के कारण व्यक्तिगत परामर्श का बहुत अधिक महत्व है।



इकाई-4 व्यक्ति अध्ययन (Case Study)

1. प्रस्तावना-
2. उद्देश्य
3. व्यक्ति अध्ययन
4. व्यक्तिवृत्त अध्ययन में सूचनाओं का संकलन और व्यवस्थीकरण
5. व्यक्तिवृत्त अध्ययन में ध्यान देने योग्य बातें।
6. व्यक्तिवृत्त अध्ययन में आनेवाली कठिनाइयाँ।

1. प्रस्तावना -

निर्देशन का केन्द्र बिन्दु होता है 'समस्याग्रस्त व्यक्ति'। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होता है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण की भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न बनाती है। यह भिन्नता न केवल शकल सूरत, देहयष्टि की होती है, वरन् बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक विकास, अभिवृत्तियाँ, रूचि सभी में व्यक्ति विशेष को विशिष्ट बनाती है। अतः व्यक्ति की समस्याओं का निदान व समाधान तभी सम्भव है जब हम व्यक्ति को पूरी तरह जान लें। इस दृष्टि से व्यक्तिवृत्त या व्यक्ति अध्ययन विधि अत्यन्त उपयोगी है।

2. उद्देश्य-

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप -

1. 'व्यक्तिवृत्त' शब्द का अर्थ स्वष्ट कर पाएंगे।
2. व्यक्ति अध्ययन विधि क्या है? इसे जान सकेंगे।
3. व्यक्ति अध्ययन विधि के विभिन्न आयामों को जान सकेंगे।
4. व्यक्ति अध्ययन प्रविधि के लिए क्या-क्या तैयारी करनी होती है? इसकी व्याख्या करने में समर्थ हो जाएंगे।
5. किसी व्यक्ति के व्यक्तिवृत्त को तैयार करने में समर्थ हो सकेंगे।

3. व्यक्ति अध्ययन

व्यक्तिवृत्त अथवा व्यक्ति अध्ययन विधि निर्देशन सेवा की एक अप्रमापीकृत विधि है, जिसका प्रयोग व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनायें एकत्रित करने के लिये किया जाता है। इन सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। यही व्याख्या उसकी कठिनाइयों के निदान में सहायक होती है। ये सूचनाएं व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, परिवेशगत शैक्षिक, व्यावसायिक सभी प्रकार की होती हैं। आकड़ों के संकलन के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों और तकनीकों की सहायता से सूचनाओं का समीकृत अध्ययन व्यक्ति अध्ययन (केस स्टडी) कहलाता है।

4. व्यक्तिवृत्त अध्ययन में सूचनाओं का संकलन और व्यवस्थीकरण-

व्यक्तिवृत्त अध्ययन में व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएं कैसे संकलित की जायं यह विचारणीय बिन्दु है। अतः सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि व्यक्तिवृत्त अध्ययन के लिए कौन-कौन से तथ्य एकत्रित किये जाने चाहिए। इनका विवरण नीचे दिया गया है।

व्यक्तित्व अध्ययन में एकत्रित किये जाने वाले तथ्य :-

1. सामान्य तथ्य - इसके अन्तर्गत परिचय एवं भौतिक परिवेश से सम्बन्धित तथ्य जैसे व्यक्ति का नाम, पता, उम्र, लिंग, धार्मिक आस्था आदि से सम्बन्धित जानकारियां ली जाती हैं।
2. पारिवारिक इतिवृत्त - परिवार की वर्तमान स्थिति, इतिहास तथा सम्बन्धित तथ्यों का संकलन इसके अन्तर्गत किया जाता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या व स्थिति, परिवार के सदस्यों का आपसी सम्बन्ध, परिवार का वातावरण। माँ-बाप का बालक के प्रति व्यवहार माता-पिता का पारस्परिक सम्बन्ध, परिवार की समाज में प्रतिष्ठा या स्थान, पड़ोस, घर पर मनोरंजन की सुविधाएं। यदि बच्चा है तो खेल के साथी, इत्यादि सूचनाएं व्यक्ति को समझने में मदद करती हैं।
3. व्यक्तित्व - व्यक्ति का स्वयं का विकास एवं उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन। व्यक्ति के वाह्य रंगरूप कद काठी के साथ साथ व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ जैसे स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, विद्यालय, कार्यालय, मित्र आदि की जानकारी होनी चाहिए। जीवन के प्रति व्यक्ति की सोच दर्शन, संवेगात्मक सामंजस्य तथा हाँबीज की सूचनाएं भी संकलित करनी चाहिए।

संक्षेप में व्यक्ति विशेष के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं संग्रहीत करना अपेक्षित होती है-

1. व्यक्ति विशेष का शारीरिक स्वास्थ्य- शारीरिक वृद्धि का स्तर, उसकी कद-काठी, आयु, वजन, चालढाल, बोलने का ढंग, रोग या शारीरिक कमी। देखने में व्यक्ति का प्रभाव जैसे चुस्त-दुरुस्त, उत्साहयुक्त अथवा दबू या मरियल।
2. व्यक्ति विशेष की योग्यताएं- बौद्धिक क्षमता, विशेष योग्यताएं, मानसिक क्षमताएं, शैक्षिक निष्पत्ति विद्यालय में कार्यस्तर।
3. संवेगात्मक विकास- संवेगात्मक परिपक्वता का स्तर, संवेगात्मक असंतुलन, भाव प्रकाशन का ढंग, संवेगों पर नियंत्रण जैसे दबू है या उत्सुक है, चिंतित हतोत्साही, पलायनवादी, तुनक मिजाज, उग्र, विनम्र, विश्वासी, अतिविश्वास, आग्रही आदि।
4. सामाजिक विकास- परिवार में व्यक्ति विशेष की स्थिति, इकलौता बालक, पक्षपात की स्थिति, जन्मक्रम, साथियों के साथ व्यवहार, लज्जालु या अल्पभाषी होना, नेता, अनुयायी या एकन्तःप्रिय, मुठभेड़ करने वाला, शक्ति दिखाने वाला आदि।
5. आदर्श तथा मनोवृत्ति- आदर्शों पर विश्वास करने वाला शिष्ट रूचियों वाला, अपराधी प्रवृत्ति वाला, परेशान करने वाला, हरदम स्वयं परेशान रहने वाला, चिंतित, त्वरित निर्णय लेने वाला अथवा निर्णयों को टालने वाला। इस सभी प्रकार के तथ्यों के आधार पर ही सम्पूर्ण व्यक्ति का विवेचन किया जाता है। व्यक्ति जो कुछ होता है वह परिस्थितियों के कारण होता है। अतः उन परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक होती है। इन निष्कर्षों के आधार पर ही उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।

5. व्यक्तित्व अध्ययन में ध्यान देने योग्य बातें -

व्यक्तित्व अध्ययन प्रविधि का प्रयोग करते समय कुछ पदों का अनुसरण करना अपेक्षित है।

- जैसे -
- (1) व्यक्तित्व अध्ययन की योजना बनाना।
 - (2) तथ्य एकत्र करना
 - (3) व्यक्तित्व का लेखन

(4) निदान व उपचार

व्यक्तिवृत्त अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ-

व्यक्तिवृत्त तैयार करना उतना सरल नहीं होता जितना समझा जाता है। यह अत्यधिक जटिल और श्रम व समय साध्य कार्य है। कुशल अध्ययनकर्ता ही वास्तव में वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकता है, अन्यथा उसकी स्वयं की मनोवृत्तियों का प्रभाव अध्ययन में आ सकता है। यह आवश्यक है कि यथासम्भव अधिकतम तथा वसुप्त तरीके से छोटे से छोटे तथ्यों का संकलन तथा क्रमानुसार लेखन करने का प्रयत्न करना चाहिए।

व्यक्ति अध्ययन से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन के लिए किसी एक विधिपर निर्भर नहीं कर सकते। इसके लिए अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, चिकित्सीय रिपोर्ट, विद्यालय के अभिलेखों आदि सभी सम्बन्धित तथ्यों को दर्शाने वाले सूत्रों व प्रविधियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। किस प्रकार के तथ्यों के लिए किन प्रविधियों तथा उपायों का प्रयोग करना है इसका निर्धारण एक प्रशिक्षित व कुशल अध्ययनकर्ता ही कर सकता है।





